

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज.)।

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

1. श्री भेरूलाल पिता रतनलाल जाति भील निवासी कचरियावास तहसील निम्बाहेड़ा हाल मुकाम एकलिंगपुरा तह0 छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0

— वादी

बनाम


1. श्री नारायण पिता नाथु जाति भील निवासी एकलिंगपुरा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्री राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान

वाद अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या :- 33/2018

दिनांक 24.03.2022

तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा सूची को स्वीकार करते हुए मौजा एकलिंगपुरा पटवार हल्का मानपुरा जागीर तहसील छोटीसादड़ी के खाता संख्या 86 पर आ.नं. 93 रकबा 0.14 हैक्ट0, आ.नं. 93/345 रकबा 0.15 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.29 हैक्ट0 भूमि में अंकित हक हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन कर अन्तिम डिक्री इस प्रकार किया जाता है:-



1. श्री भेरूलाल पिता रतनलाल जाति भील कचरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा सा. कचरियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा खातेदार:-
मौजा एकलिंगपुरा

आराजी नं0	रकबा हैक्टर	भाग
93/345	0.15	-
कुल कित्ता 01	कुल रकबा 0.15 हैक्टर	

D

2. श्री नारायण पिता नाथु जाति भील सा. देह. खातेदार:-
मौजा एकलिंगपुरा

आराजी नं०	रकवा हैक्टर	भाग
93	0.14	-
कुल किता 01	कुल रकवा 0.14 हैक्टर	

अतः उपरोक्तानुसार खातेदारान के मध्य आराजीयात का विभाजन कर पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जात है कि डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री आज दिनांक 24.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।



D
(~~मिस्त्र~~ कुमारी ~~सरोज~~ होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी
छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज०)